चारित्र्य तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विनियम, 1990 को प्रकाशित करने वाली अधिसूचना सं. ए-32 (11)-1/84-स्थापना I(ए) दिनांक 16 जून, 1990 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)

[Placed in Library. *See* No. LT-1350/90].

IV. शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अधीन शिक्षता (संशोधन) नियम, 1989 को प्रकाशित करने वाली श्रम मंत्रालय (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय) की अधिसूचना सा० का नि० सं० 882, दिनांक 25 नवम्बर 1989 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) ।

[Placed in Library. *See* No. LT-1335/90].

Notification publishing the Food Corporation of India (Death-cum-Retirement Gratuity) (Second Amendment) Regulations, 1990

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल)** : मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन भारतीय खाद्य निगम (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1990 को प्रकाशित करने वाली खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० 54 (सं० ई०पी०39(3)/83) दिनांक 19 अप्रैल, 1990 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभापटल पर रखता हूं।

[Placed in Library. *See* No. LT-1518/901

**Notification of the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Corporation)**

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार)** : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन 1 अप्रैल, 1990 से 30 सितम्बर, 1990 तक (खरीफ सीजन 1990) की अवधि के दौरान घरेलू उर्वरक विनिर्माताओं द्वारा विभिन्न राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और जिंस बोर्डों को की गयी उर्वरकों की आपूर्ति को दर्शाने वाली कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता) विभाग की अधिसूचना का०आ०सं० 488 (अ) दिनांक 18 जून, 1990 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभापटल पर रखता हूं ।

[Placed in Library. See No. LT-1418/90].

## REFERENCE TO A FOREIGN NATIONAL HOLDING A HIGH POST IN THE UNION GOVERNMENT

THE DEPUTY CHAIRMAN; Special Mentions.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Madam, I want to raise a very important point. (Interruptions) Madam, I want to raise an important issue which will benefit the Government.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Good.

SHRI JAGESH DESAI: Madam, one ex-Judge, Mr. Kotse Patil had brought to the notice of the Prime Minister that excise duty... *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN; It is about excise duty.

SHRI JAGESHH DESAI: A Full Bench of the Bombay High Court had given A verdict. The excise duty is collected. But when they go to the court, they challenge the entry and the tax is less. And there the tax should not be given to the party... *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat.

SHRI JAGESH DESAI:... nor should it go to the Government. And it should be put for the purpose of welfare of the people concerned...